मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

फा.क.   /स्थापना/2017   भोपाल दिनांक

// परिपत्र//

मध्य प्रदेश स्थित वक्फ संपत्तियों की प्रबंध व्यवस्था एंव प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा मुतवल्ली/प्रबंध कमेटियों का गठन किया जाता है। संबंधित वक्फ के मुतवल्ली/प्रबंध कमेटियों द्वारा उस वक्फ की दुकानें, मकान आदि को 11–11 माह की किरायेदारी पर देकर किराया वसूल किया जाता है और वर्षवार उस किराये आदि की आमदनी से वक्फ अधिनियम की धारा 72 के अनुसार वक्फ बोर्ड को 7 प्रतिशत चंदा निगरानी के रूप में राशि भेजी जाती है। समस्त मुतवल्ली/कमेटियॉ किरायेदारी का निर्धारित एकरूपता से कार्य नहीं करते, जबकि वक्फ संपत्ति को मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के समस्त उपबंधो से छूट प्रदान की गई है। इसके अनुसार समस्त किरायेदारी कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार बाजार दर से की जानी चाहिये। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी सर्कुलर जो दिनांक 7 सितंबर 1989 के राजपत्र में प्रकाशन किया है। जिसकी प्रति मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की वेबसाईट **www.mpwaqfboard.org** पर अपलोड की गई है।

इसी के साथ भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 (1955 का 43) की धारा 56 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर पट्टा नियम 2014 दिनांक 03 जून 2014 जारी किया गया है। जो भारत राजपत्र में प्रकाशित किये गये है। जिसकी प्रति मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की वेबसाईट **www.mpwaqfboard.org** पर अपलोड की गई है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

इसका पालन करने हेतु मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा पूर्व में भी अपने पत्रों के माध्यम से लेख किया गया है किन्तु अभी पालन नहीं किया जा रहा है। पुनः सभी संबंधितों को इस परिपत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अब समस्त वक्फ के संबंधित अध्यक्ष/मुतवल्ली/प्रबंधक आगामी किरायेदारी अनुबंध उक्त वक्फ संपत्ति पट्टा नियम 2014 के अनुसार ही कार्यवाही करें।

वक्फ संपत्तियों की किरायेदारी/आवंटन में पारदर्शिता हेतु आवश्यक है कि इसकी प्रक्रिया नीलामी के माध्यम से की जावे, इस हेतु एक प्रारूप आपकी सहूलियत के लिये प्रेषित किया जा रहा है। जिसमें नियमानुसार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(मान. अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल

D.No. 7835 —— 28.8.17

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1 निज सचिव, मान. मंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल।
2 सचिव पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3 आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण सतपुड़ा भवन भोपाल।
4 निज सहायक, मान. अध्यक्ष महोदय वक्फ बोर्ड भोपाल।
5 समस्त ओ.आई.सी. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड मुख्यालय।
6 समस्त शाखायें, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड मुख्यालय।
7 समस्त जिला वक्फ कमेटी, मध्यप्रदेश।
8 समस्त वक्फ प्रबंध कमेटी मध्यप्रदेश।
9 समस्त प्रभारी/सहायक पंजीयन शाखा मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल।
10 आदेश नस्ति।
11 आई.टी.सेल. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल

प्रारूप

क................................ /   दिनांक ....

कार्यालय वक्फ ....

से संबंधित दुकान/मकान की निविदा आमंत्रण सूचना।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वक्फ .... से संबंधित दुकानें/मकान की सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। उक्त टेण्डर निम्नलिखित दिनांक में वक्फ .... के कार्यालय में खोले जायेंगें। प्रत्येक दुकान/मकान के लिये अलग अलग निविदायें देनी होंगी। निविदा प्रपत्र के साथ मूल रसीद लगाना अनिवार्य है।

क.	दुकान / मकान का विवरण	अमानत राशि	टेण्डर जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	टेण्डर खोलने की तिथि एवं समय	दुकानों/ मकानों की संख्या	दुकानों/मकानों हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि प्रतिमाह	टिप्पणी

नीलामी संबधित नियम व शर्ते कार्यालयीन समय में .... स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है।

अध्यक्ष/सचिव/मुतवल्ली
वक्फ ....
जिला ....